न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–63/2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 गोरधनराम 2 चूनाराम 3 गिरधारीराम जाति कुम्हार निवासी नागणेचियान ढूंढा, कवास तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 चिमाराम पुत्र जेताराम जाति कुम्हार निवासी नागणेचियान ढूंढा, कवास तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री डूंगरसिंह महेचा, वकील वादी पक्ष।
2. श्री हितेश कुमार, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के सदस्य है तथा जेताराम के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि मौजा नागणेचियान ढूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 700/314 रकबा 26.14 बीघा, खसरा संख्या 711/489 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 717/492 रकबा 09.15 बीघा कुल रकबा 39.07 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वर्ष 1979 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जेताराम ने अपने व अपने जायन्दा सन्तान के लाभ के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से खीमराज पुत्र केसरीमल से खरीद की थी। तत्समय प्रतिवादी संख्या 01 जेताराम बड़ा पुत्र होने के कारण व वादीगण नाबालिग होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम क्रय कर दी थी, लेकिन उस समय प्रतिवादी संख्या 01 नाबालिग था तथा 12 वर्ष की उम्र होने के कारण उसकी कोई आय नही थी। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 जेताराम के विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित होने के कारण वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार करवाने के वादीगण अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का समान 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का है। इसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 जेताराम के वंशज होने के कारण वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

वादी संख्या 03 गिरधारीराम एवं स्वंतत्र गवाह भंवराराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नागणेचियान ढूंढा, कवास तहसील व जिला बाडमेर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में चालु जमाबन्दियां, नामान्तकरण संख्या 296 तथा पंजीबद्ध बेचान दिनांक 29.08.1979 की

प्रतियां प्रस्तुत की है, जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 है। वादी संख्या 03 गिरधारीराम एवं स्वंतत्र गवाह भंवराराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी नागणेचियान ढूंढा, कवास तहसील व जिला बाडमेर द्वारा मुख्य परीक्षण में अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से निहित है, उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमि है। हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2071 से 2074, प्रदर्श–01 है, नामान्तकरण संख्या 296 प्रदर्श–02 एवं व पंजीबद्ध बेचान प्रदर्श–03 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमि होना प्रमाणित है तथा हिन्दु संयुक्त परिवार की आय भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक ईकबाली जवाब वादीगण अपना 1/4–1/4 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक ईकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर मौजा नागणेचियान ढूंढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 700/314 रकबा 26.14 बीघा, खसरा संख्या 711/489 रकबा 02.18 बीघा व खसरा संख्या 717/492 रकबा 09.15 बीघा कुल रकबा 39.07 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 चिमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर